बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्ति

'हमने बटोरे हैं तारे ज़मीन पर।'
– कमाण्डर रिसाल सिंह
यूपी100, पीआरवी1401,
स्वार, रामपुर।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बौद्धिक अशक्तों की जीवन पर्यन्त देखभाल

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मि०)	स्लाइड संख्या
1	उद्देश्य	20	7
2	परिचय- बौद्धिक मंदता का वर्गीकरण	15	08
3	सत्र 2019 में दर्ज किए गए बौद्धिक रूप से अशक्त और तनावपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित घटनाओं के आंकड़े	15	09-10
5	घटना का प्रकार एवं उपप्रकार	10	11-12
6	परिचय- मानसिक स्वास्थ्य	10	13
7	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के अनुसार मानसिक बीमारी/बौद्धिक मन्दता के बीच अंतर-चलचित्र	10	14-15
8	बौद्धिक मन्दता/चलचित्र एवं केस स्टडी	20	16-18

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
9	बौद्धिक/मानसिक मंद व्यक्ति	10	19
10	मंदता का स्तर	10	20
11	ड्रग से प्रभावित व्यक्ति व चलचित्र	10	21
12	शराब से प्रभावित व्यक्ति व शराब से हुई मौतें (वर्ष-2016) एवं केस स्टडी	20	22-26
13	अवसाद व अवसाद के लक्षण एवं केस स्टडी	25	27-32
14	मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर- (ध्यान संबंधी सक्रियता का अभाव)	10	33
15	एंग्जायटी डिसऑर्डर	10	34
16	बाईपोलर डिसऑर्डर	10	35-36

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
17	शिज़ोफ्रेनिया व चलचित्र (शिज़ोफ्रेनिया)	25	37-38
18	गतिविधि -Bizarre Visualisation	25	39-40
19	UP112 मुख्यालय में आयोजित मानसिक रूप से ग्रसित बच्चों की कार्यशाला की कुछ झलकियाँ	10	41
20	मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017	05	42
21	मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- मानसिक रोगी के अधिकार	20	43-44
22	मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- पुलिस के कर्तव्य	20	45-48
23	मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- अपराध एवं दण्ड	25	49
24	पी.आर.वी स्टाफ द्वारा मानसिक रोगी की समस्याओं को हल करने	05	50

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
25	बौद्धिक मन्द /नशे से प्रभावित लोगों के साथ रखी जाने वाली सावधानियां- क्या करें, क्या न करें ?	20	51-54
26	पी.आर.वी कर्मी की घटना के दौरान प्राथमिक भूमिका	10	55
27	पी आर वी कर्मी की घटना के दौरान प्राथमिक भूमिका	10	56
28	बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्ति- (अवसाद ग्रस्त, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति, मिरगी से ग्रस्त, ड्रग एडिक्ट, शराबी) सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ) एवं केस स्टडी	30	57-63
29	क्विज़ एवं प्रश्नोत्तर	20	64-68
30	निष्कर्ष	05	69
31	स्त्रोत	05	70
32	UP112 से संपर्क के माध्यम	05	71

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात आप निम्न में सक्षम होंगे:

- स्थिति की गंभीरता के अनुसार सहायता हेतु अन्य संस्थाओं से संपर्क स्थापित करने में
- परिस्थिति के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही करने में
- परिस्थिति के अनुसार पीड़ित तथा अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में
- पीड़ित व्यक्तियों के साथ उचित आचरण के द्वारा यथा संभव उनकी व उनकी संपत्तियों की सुरक्षा एवं परिस्थिति के अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही करने में

परिचय- बौद्धिक मंदता का वर्गीकरण

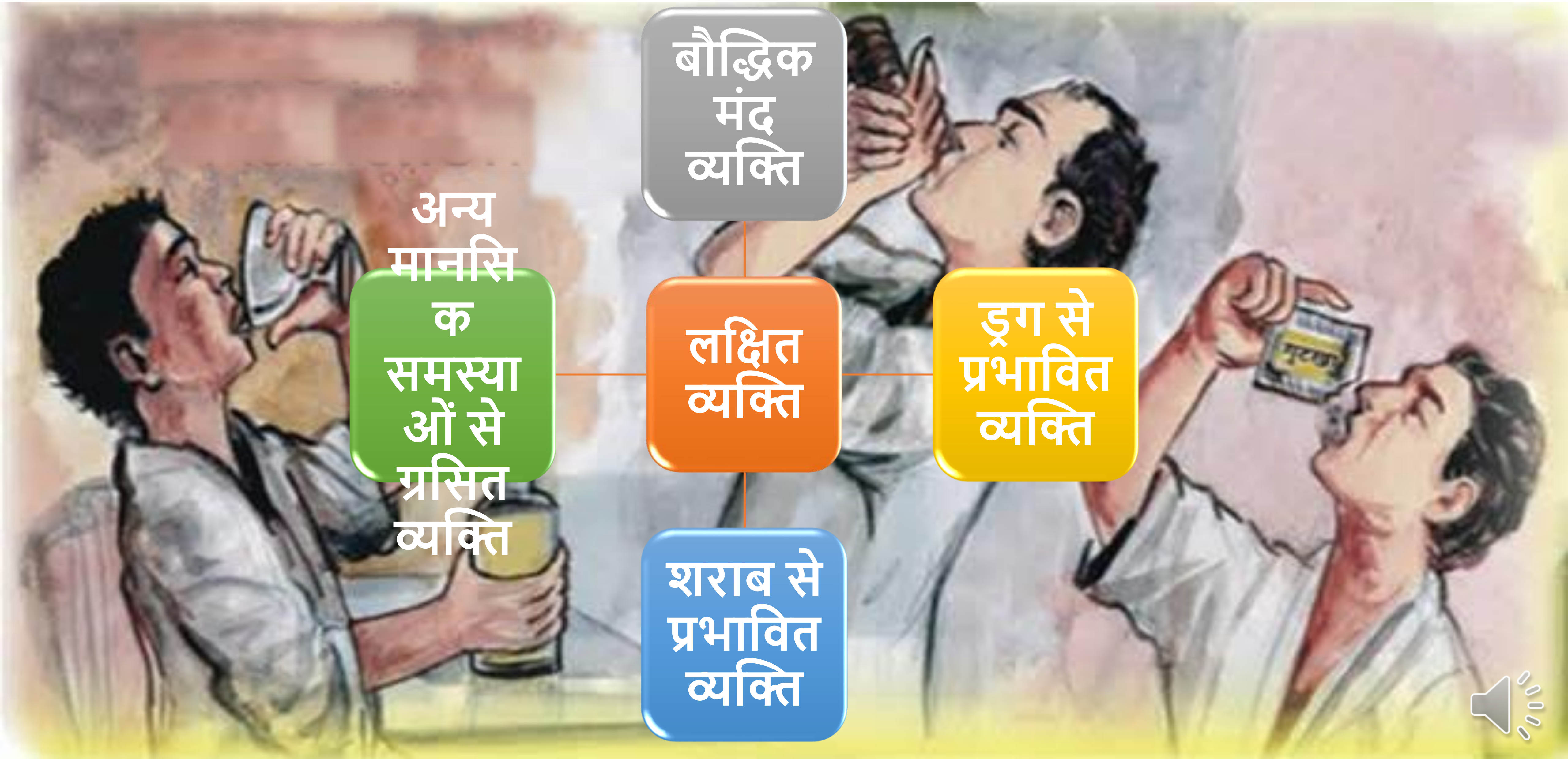

यू०पी०112- में 01st Apr 2023 to 31st March 2024 में दर्ज किए गए बौद्धिक रूप से अशक्त और तनावपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित घटनाओं के आंकड़े

कुल दर्ज घटनाएँ - 37404

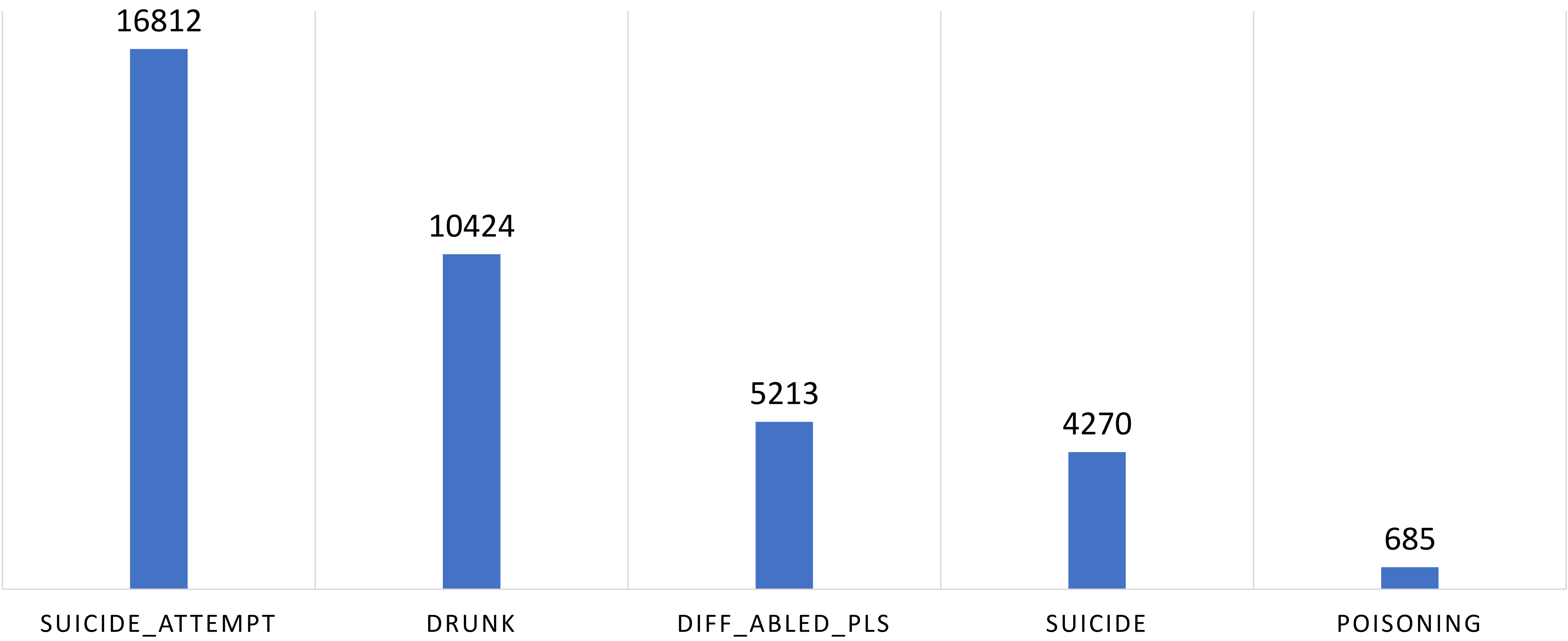

Data Source: BI UP112.

यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 में दर्ज किए गए बौद्धिक रूप से अशक्त और तनावपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित घटनाओं के आंकड़े

कुल दर्ज घटनाएँ - 6795

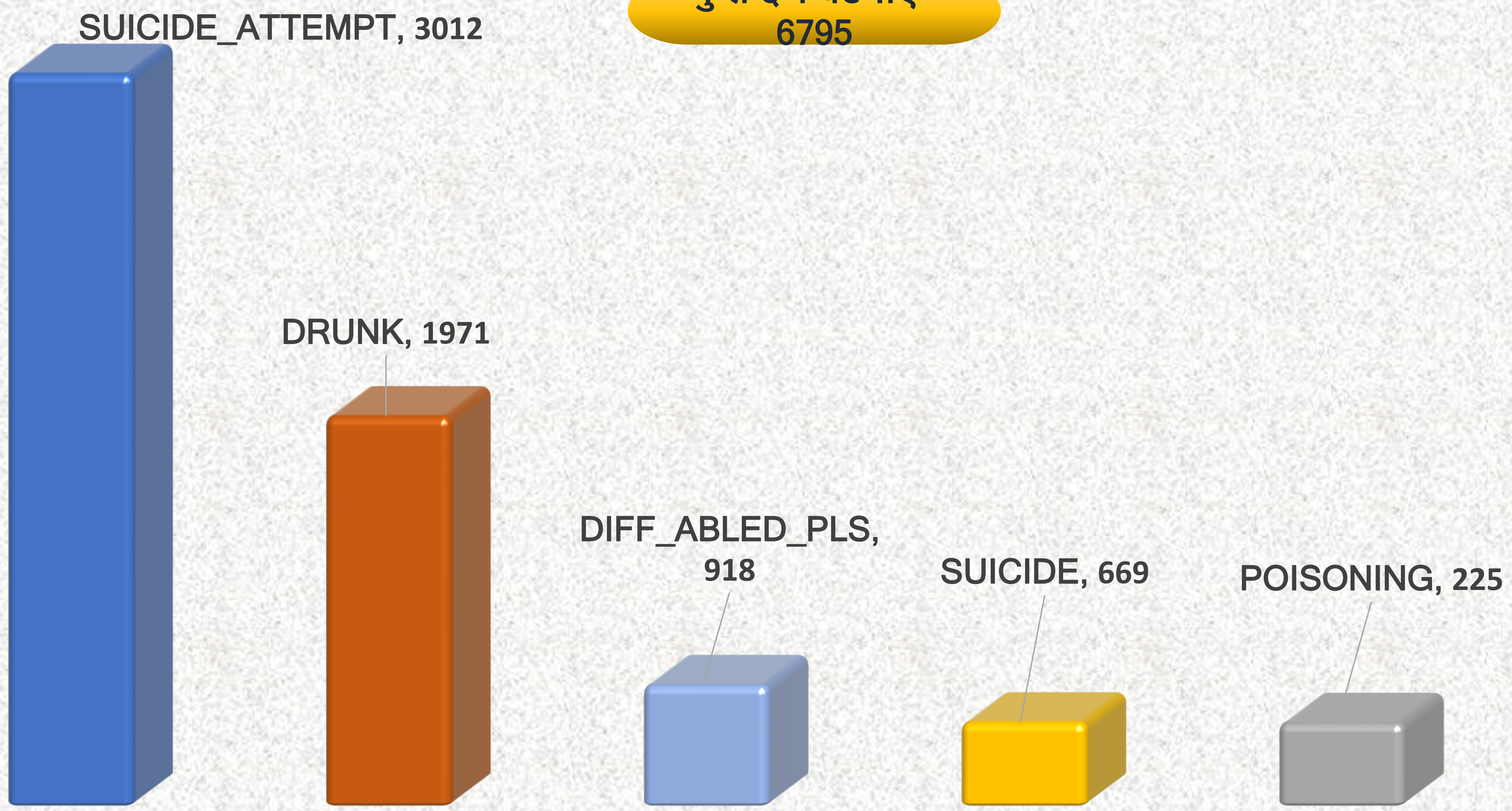

Data Source: BI UP112.

यूपी 112 में दर्ज किए गए, बौद्धिक रूप से अशक्त और तनावपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित घटनाओं के आंकड़े

Data from 01st Apr. to 30th Jun.2022

Total Event - 6795

- Suicide Attempt
- Differentially abled people
- Drunk
- Poisoning
- Suicide

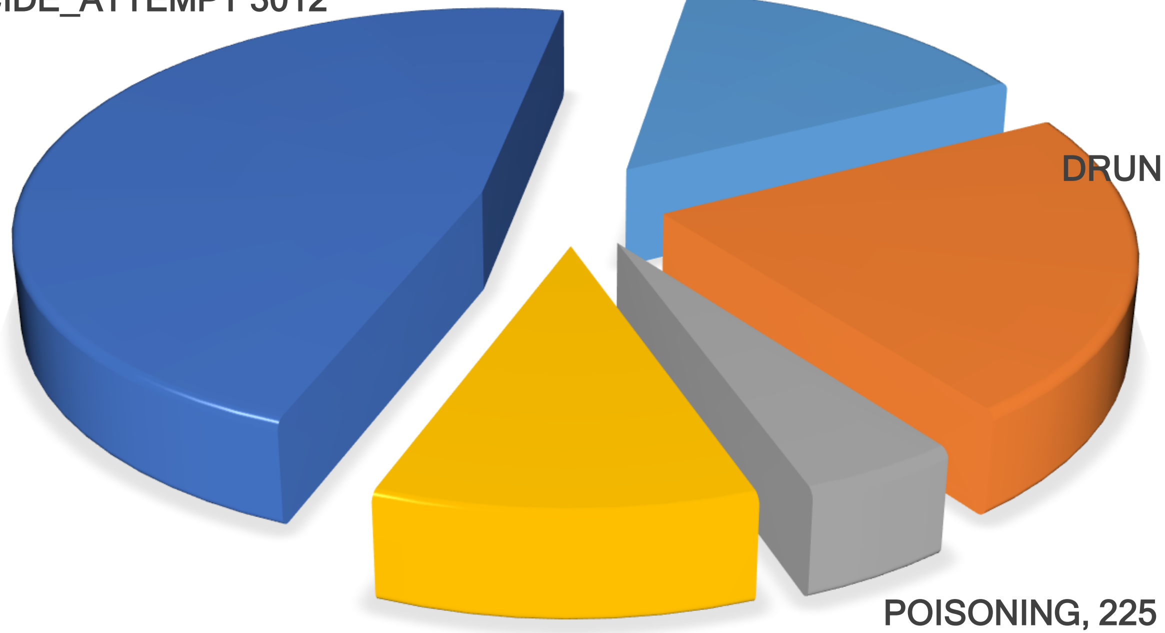

Data Source: BI. UP112

घटना का प्रकार व उपप्रकार -

DIFF_ABLED_PLS (अलग विकलांग लोग)

- MAD_RETD_PERS (अलग विकलांग लोग)

DRUNK (नशे में)

- LY_UNCON_PB_PLS (सार्वजनिक स्थानों में बेहोश पड़े)
- LYING_UNCONSC (बेहोशी की अवस्था में)

POISONING (जहर खुरानी)

- BUS_STAND (बस स्टैण्ड पर)
- IN_BUS (बस में)
- IN_TEMPO (टैम्पो में)
- IN_TRAIN (ट्रेन में)
- PLC_UND_DIST_POL (जिला पुलिस के अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर)
- RAILWAY_STATION (रेलवे स्टेशन पर)
- IN STATION TRAIN (रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में)

घटना का प्रकार व उपप्रकार -

SUICIDE (आत्म हत्या)

- BY_FIRE (आग लगाकर)
- BY_HANGING (फांसी लगाकर)
- CONSUMING_POISON (जहर का सेवन)
- FIREARMS (आग्नेयास्त्र)
- JUMP_INTO_WATER (पानी में कूदकर- नदी, नहर, झील,स्विमिंग पूल, पोखर आदि)
- JUMP_RAIL_TRACK (रेलवे ट्रैक पर कूद कर)
- OTH_DEADLY_WPNS (अन्य घातक हथियार से आत्म हत्या)
- SHARP_WEAPONS (धारदार हथियार)

परिचय- मानसिक स्वास्थ्य

*“मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं की एक अभिव्यक्ति है; जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके व्यवहार में संयम, संतुलन, एकरूपता व निर्णय करने की क्षमता पाई जाती है” - **NIMHANS***

- मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति न सिर्फ अपनी देखभाल करने में अपितु दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम होता है; सतत व समग्र बौद्धिक विकास भी एक स्वस्थ मस्तिष्क का लक्षण है

- एक अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति से उचित

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के अनुसार मानसिक बीमारी और बौद्धिक मंदता के बीच अंतर

मानसिक बीमारी

मानसिक बीमारी से तात्पर्य है, “पीड़ित व्यक्ति की सोच, मनोदशा, धारणा या निर्णय लेने में असमर्थता, वास्तविकता पहचानने सक्षम न होना व सामान्य जीवन की जरूरतों को पूरा न कर पाने की क्षमता ऐसी स्थितियों को मानसिक रोग माना जाता है”

तत्पश्चात कई अन्य मानसिक रोग जो अल्कोहल व ड्रग्स के दुरूपयोग से होते हैं, उन्हें भी मानसिक रोग से जोड़ा गया है

लेकिन इस परिभाषा में बौद्धिक मंदता को नहीं जोड़ा गया है

बौद्धिक मंदता

Mental Illness	Intellectual Disabilty
• Disorder of thinking, mood, perception • Includes drug addicts & alcoholics	• Low intelligence • Includes Autism, Down Syndrome etc.

Differentiation between mental illness and intellectual disability as per the Mental Healthcare Act, 2017

चलचित्र – बौद्धिक मंदता

केस स्टडी

SUICIDE_ATTEMPT (आत्म हत्या का प्रयास)

- इवेंट नं - P02121706215
- कॉलर ने क्या कहा

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना सम्बन्धित विवरण

CO

Event Number
P02121706215

Call Time Stamp
02-12-2017 15:47:31

Dispatch Time Stamp
02-12-2017 15:54:45

District
KHERI

Police Station
MAIGALGANJ

Area
KHI-AREA-ASP

Event Type
UNCLAIMED_INFO.

Event Sub Type
UNCLAIMED_CHILD

Incident Address
NEAR BY MANDIR KE PAAS,GRAM

Caller Name
PURSEEN KAUR W/O JOGENDAR SINGH

CallerNumber
7523020904

Caller Address
GRAM HEMPUR TANDA,,KHUNTI I

Remarks
LADKI KO THANE KE SUPURD KIYA GYA.,7523020904-------घटना का समय:-03:49PM ------- घटना का दिन:- 02/12/17----- एक खोयी हुई लड़की गाँव में आ गयी है सीतापुर की है बता रही है उम्र :-(13) ----- LBS,KHI2854I

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO के रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

बौद्धिक/ मानसिक मंद व्यक्ति

- मानसिक मंदता विकास संबंधित एक मानसिक अवस्था है, जो कि 2% लोगों में पाई जाती है; इसे हम IQ के माध्यम से मापते हैं
- सामान्यतः इसके लक्षण बाल्यावस्था में ही नजर आने लगते हैं
- इस तरह की दुर्बलता की शुरुआत 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है, यह समस्या कुछ बच्चों में अधिकतर जन्म से ही रहती है
- ऐसे बच्चों में भाषा के विकास में देरी, याद रख पाने में कठिनाई, गलत सही का ज्ञान, और व्यवहार संबंधी समस्याएँ देखी जाती है

Source: EMORY University, School of M

बौद्धिक मंद व्यक्ति- मंदता का स्तर

क्रम सं०	मंदता का स्तर	आई क्यू (IQ)
1	न्यूनतम मानसिक मंदता (Mild Mental Retardation)	50-69
2	मध्यम मानसिक मंदता (Moderate Mental Retardation)	35-49
3	गंभीर मानसिक मंदता (Severe Mental Retardation)	20-34

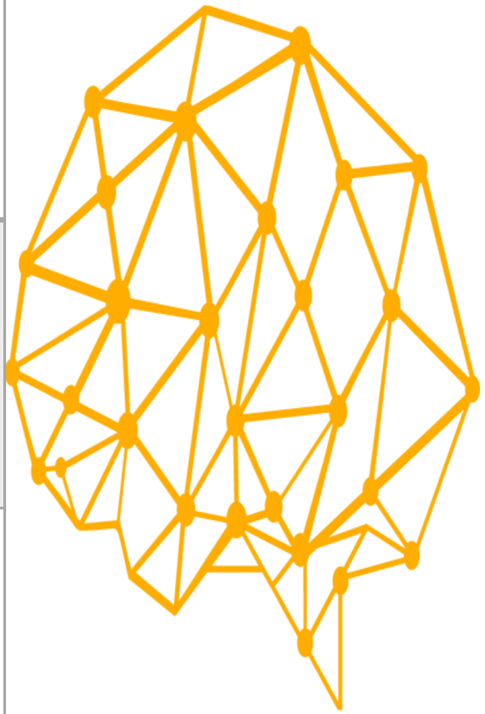

ड्रग से प्रभावित व्यक्ति व चलचित्र

- व्यक्ति कई बार जाने-अनजाने कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेता है, जिससे कुछ समय के लिए तीव्र नशा उत्पन्न हो जाता है
- जिसके कारण उस व्यक्ति की तार्किक क्षमता प्रभावित हो जाती है
- तम्बाकू और विभिन्न मादक पदार्थों को भी उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है
- ऐसे पदार्थों में प्रायः चरस, अफ़ीम, गांजा, ब्राउन शुगर, तथा नार्कोटिक ड्रग तथा सार्कोट्रोपिन श्रेणी में आने वाले दवाइयां भी हो सकती हैं

जैसे- कफ़ सिरप, (e.g. Corex), नींद की गोलियों का सेवन, दर्द निवारक बाम (e.g. Iodex)

शराब से प्रभावित व्यक्ति

- शराब मुख्यतः अल्कोहल के अनुपात के कारण हानिकारक होती है
- शराब के अलावा अन्य पेय पदार्थ भी नशीले होते हैं जैसे- ताड़ी, फेनी, आदि
- कई बार व्यक्ति क्षमता से अधिक अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके सोचने-समझने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है

शराब से हुई मौतें (वर्ष-2016)

- चीन - 7,09,000
- भारत - 3,32,000
- रूस - 2,23,000
- ब्राजील 97,000
- अमेरिव 90,000
- वियतन 79,000
- यूक्रेन - 78,000
- जर्मनी - 62,000
- मैक्सिव 49,000
- फ़्रांस - 51,800

केस स्टडी

DRUNK (नशे में)

- इवेंट नं - P13051909692
- कॉलर ने क्या कहा

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना सम्बन्धित विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P13051909692	13-05-2019 17:17:27	13-05-2019 17:22:12	--

District	Police Station	Area
LUCKNOW	GGNJ-LKW	LKW_AREA_RURAL

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
DRUNK	LY_UNCON_PB_PLS	SAHEEDPATH ANSAL SE CROSS KARKE VEDANTA KE SAAMNE LUCKNO

Caller Name	CallerNumber	Caller Address
अरविन्द	7080422229	M,INDIAN,SELF EMPLOYED,,AIGPV3508G,INCOME T

Remarks

#ELSCALL---------- CALLER NUMBER:7080422229 घटना का विवरण- DIVIDER ROAD रोड पर एक आदमी शराब पीकर पड़े हुए है.. आदमी की उम्र अंदाजन ३०-३५ वर्ष है ...घटना अभी की है --- SAHEEDPATH ANSAL SE CROSS KARKE VEDANTA KE SAAMNE LUCKNOW LUCKNOW,LKW4580,MAUKE PER GAY 1 VYAKTI SHARAB KE NASHE ME THA AUR RASTA BHATAK GYA THA .USKO USKE AS THAN PER PHUNCHA DIYA ..MAUKE PER GAY 1 VYAKTI SHARAB KE NASHE ME THA AUR RASTA BHATAK GYA THA .USKO USKE AS THAN PER PHUNCHA DIYA ..107

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO के रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़ित पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगा?

अन्य मानसिक समस्याएँ: अवसाद (DEPRESSION)

जब व्यक्ति असफल हो जाता है और दबाव महसूस करता है तब वह व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है

- व्यक्ति के तनाव में रहने से उसका जीवन के प्रति नजरिया नकारात्मक हो जाता है और किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, लम्बे समय तक बना रहने वाला मानसिक तनाव 'अवसाद' का एक प्रमुख कारण है, हालाँकि अवसाद की अवस्था के लिए अन्य कई कारक व परिस्थितियां भी [illegible] हो सकती हैं

अन्य मानसिक समस्याएँ: अवसाद के लक्षण (Depression Symptoms)

भावनात्मक

- उदासी — *Sadness*
- चिंता /व्याकुलता — *Anxiety*
- अपराध बोध — *Guilt*
- क्रोध — *Anger*
- अस्थिर मनोदशा — *Mood swings*
- चिड़चिड़ापन — *Irritability*

वैचारिक

- आत्म-आलोचना — *Self-criticism*
- कटु स्मृतियाँ (बुरी यादें) — *Impaired memory*
- अनिर्णय की स्थिति — *Indecisiveness*
- भ्रम की स्थिति — *Confusion*
- मृत्यु और आत्महत्या के विचार, — *Thoughts of death and suicide*

अन्य मानसिक समस्याएँ: अवसाद के लक्षण (Depression Symptoms)

शारीरिक

- अत्यधिक थकावट — *Chronic fatigue*
- ऊर्जा की कमी — *Lack of energy*
- बहुत ज्यादा या बहुत कम सोना — *Sleeping too much or too little*
- वजन अचानक बढ़ना या कम होना — *Weight gain or loss*
- मादक पदार्थों का सेवन — *Substance abuse*

व्यावहारिक

- दूसरों से भागना — *Withdrawal from others*
- जिम्मेदारियों की उपेक्षा — *Neglect of responsibilities*
- व्यक्तिगत भेष में बदलाव — *Change in personal appearance*
- अभिप्रेरणा का कमी — *Loss of motivation*

केस स्टडी

SUICIDE_ATTEMPT (आत्म हत्या का प्रयास)

- इवेंट नं - P13051900158
- कॉलर ने क्या कहा

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना सम्बन्धित विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp
P13051900158	13-05-2019 00:07:25	13-05-2019 00:09:54

District	Police Station	Area
BIJNOR	NAGENDEHAT	BJR-AREA-RURAL

Event Type	Event Sub Type	Incident Address
SUICIDE_ATTEMPT	SHARP_WEAPONS	NEAR-POLICE CHAUKI,,TANDA MAIDASS, P

Caller Name	CallerNumber	Caller Address
मनोज गौतम	919315974082	,,,,,

Remarks

107,GHAYAL KO CHC NAGINA LAYA GAYA, #POI
CALLER NUMBER:919315974082 ,,,,,,,,,,,,मनोज गौतम जी के रिश्तेदार ने अपना हाथ काट लिया है थोड़ी देर की घटना है केवल पुलिस सहायता चाहिए
NEAR-POLICE CHAUKI,,TANDA MAIDASS, PS NAGENDEHAT, BIJNOR,,BJR-NAGEENA,BJR2434,INFO TO PRV 2434,INFO TO PS NAGEENA DEHAAT

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO के रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़ित पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगा?

अन्य मानसिक समस्याएँ:

मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर: ADHD- (ध्यान संबंधी सक्रियता का अभाव)

ADHD (Attention Deficit Hypercity Disorder) दिमाग से सम्बंधित विकार है, जो बच्चों व बड़ों दोनों में होता है

लक्षण

- इस डिसऑर्डर में व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता है; वह या तो जरूरत से ज्यादा एक्टिव दिखेगा या नीरस
- ऐसा व्यक्ति अकेले बैठकर घंटों व्यतीत कर सकता है. ऐसा बच्चों में अधिकतर होता है जो कि बड़े होने तक सकता है

अन्य मानसिक समस्याएँ: एंग्जायटी डिसऑर्डर (चिन्ता या आकस्मिक भय विकार)

ऐसा व्यक्ति किसी घटना विशेष के कारण आहत होता है, जो कि उससे संबंधित किसी घटना या स्थान को देखने पर अनियंत्रित व्यवहार करता है

लक्षण

- हृदयगति में बढ़ोतरी या सांस फूलना
- सीने (छाती) में खिंचाव महसूस होना
- निराधार और अतार्किक चिंताओं में बढ़ोत्तरी और बेचैनी
- अनावश्यक वस्तुओं के प्रति रुझान बढ़ना जिससे व्यवहा

अगर आपको अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य में ऐसे लक्षण नज़र आते हैं, तो आपको उनकी संभावित दशा के बारे में उनसे बात करनी चाहिए और

अन्य मानसिक समस्याएँ : बाईपोलर डिसऑर्डर (बहुव्यक्तित्व विकार)

यह एक साइक्लिक डिसऑर्डर है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा बारी-बारी से दो अलग और विपरीत अवस्थाओं में आती-जाती रहती है। यह एक तरह की जटिल मानसिक बीमारी है, इस बीमारी में इंसान के व्यवहार में अचानक बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें रोगी का मन लगातार कई महीनों या हफ्तों तक या तो बहुत उदास रहता है या फ़िर बहुत खुश

लक्षण

- कभी-कभी बिना बात पर काफी उदास व उदासी के समय नकारात्मक विचारों का आना,
- स्वयं को दोषी महसूस करना

अन्य मानसिक समस्याएँ : बाईपोलर डिसऑर्डर (बहुव्यक्तित्व विकार)

- अत्यधिक ख़ुशी के दौरान मन में ऊँचे-ऊँचे विचारों का आना
- चिड़चिड़ापन और घबराहट
- भविष्य के बारे में सोच कर निराशा
- शरीर में ऊर्जा की कमी और अपने आप से नफ़
- नींद की कमी और मन में रोने की इच्छा
- आत्मविश्वास की कमी लगातार बनी रहती है
- मन में आत्महत्या के विचारों का आना

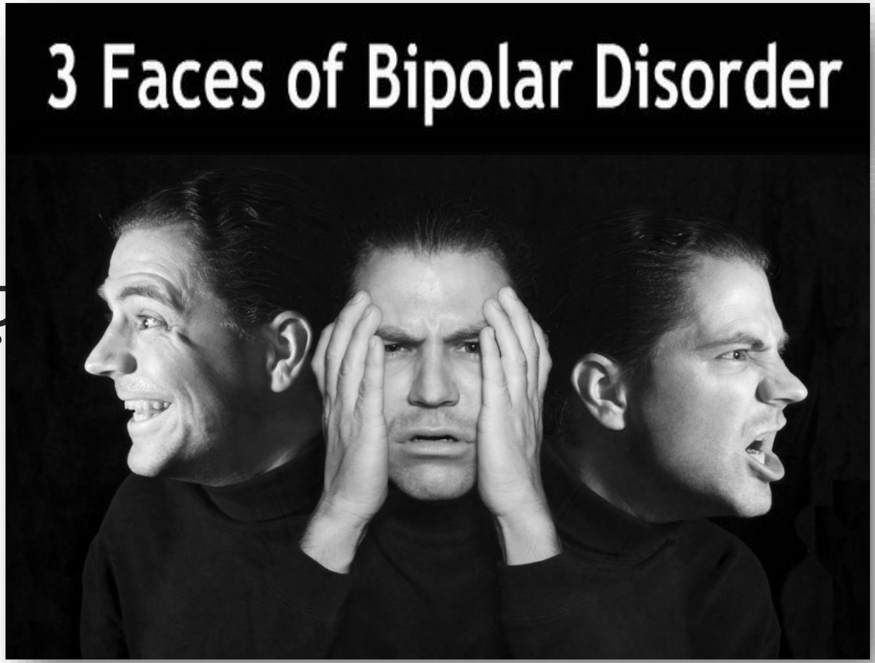

अन्य मानसिक समस्याएँ: शिज़ोफ्रेनिया' Schizophrenia (मनोविदलता)

एक यह एक मानसिक विकार है, शिज़ोफ्रेनिया होने पर व्यक्ति को न होने वाली स्थितियों का भी आभास होता है, इस रोग में रोगी के विचार, संवेग तथा व्यवहार में असामान्य बदलाव आ जाते हैं| उक्त के कारण वह व्यक्ति स्वयं की देखभाल करने में अक्षम हो जाता है तथा उचित इलाज के अभाव में यह समस्या अधिक गंभीर हो जाती है

लक्षण

- तरह-तरह की आवाजें सुनाई देना
- ऐसा रोगी प्रत्येक व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखता है
- रोगी कभी-कभी स्वयं या किसी और को चोट भी पहुँचा सकता है
- रोगी को लगता है कि लोग उसके बारे में बातें करते है, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं

चलचित्र - शिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia)

गतिविधि -Bizarre Visualisation

गतिविधि- Bizarre Visualisation

1- इंद्रधनुष	इंदिरा गाँधी
2- राजीव	राजीव गाँधी
3- घुटना	विश्वनाथ प्रताप सिंह
4- जंघा	चन्द्र शेखर
5- पेट	पी० वी० नरसिम्हा राव
6- सीना	देव गौड़ा
7- गर्दन	आई० के० गुजराल
8- मुंह	अटल बिहारी बाजपेयी
9- सिर	मनमोहन सिंह
10- चिल्लाना	

UP100UP मुख्यालय में आयोजित मानसिक रूप से ग्रसित बच्चों की कार्यशाला की कुछ झलकियाँ

मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लावारिस अथवा सड़कों पर असहाय घूमने अथवा पड़े रहने से अनेक दुर्घटनाएं एवं आपराधिक घटनाएँ घटित होती हैं, जो किसी भी सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज में स्वीकार नहीं है मानसिक रूप से समुचित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकताएं पूर्ण करने एवं उनके स्वास्थ्य की देख-रेख के दौरान उनके अधिकारों को अनुरक्षित करने तथा अन्य सम्बद्ध अनुसंगिक मामलों को विनियमित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा मानसिक

मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- मानसिक रोगी के अधिकार

- मेंटल हेल्थकेयर एक्ट सभी सरकारी व सरकार द्वारा वित्तपोषित अस्पतालों में मानसिक तौर से बीमार लोगों को इलाज का अधिकार देता है

- इस अधिनियम में सभी मानसिक रोगियों को किफायती उपचार पाने का अधिकार दिया गया है, बेघर या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मानसिक रोगियों को निःशुल्क उपचार पाने का भी अधिकार दिया गया है **-धारा 18**

- मानसिक रोगी को समाज के अंग के रूप में जीने का अधिकार है उन्हें समाज से पृथक नहीं किया जा सकता है और केवल इसलिए कि उनका कोई परिवार नहीं है, उन्हें परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, बेघर हैं या समुदाय में उनके लिए सुविधा का अभाव है, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संस्था में रहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है **-धारा 19**

- प्रत्येक मानसिक रोगी को सम्मान से जीने का अधिकार है उन्हें मानसिक

मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- मानसिक रोगी के अधिकार

- समानता एवं भेदभाव के विरुद्ध अधिकार **-धारा 21**
- सूचना का अधिकार **-धारा 22**
- गोपनीयता का अधिकार **-धारा 23**
- मानसिक तौर पर बीमार शख्स को यह अधिकार भी देता है कि उसकी मर्जी के बिना उसकी कोई भी तस्वीर या जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी **-धारा 24**
- चिकित्सीय अभिलेख पर पहुँच का अधिकार **-धारा 25**
- व्यक्तिगत संपर्क एवं वार्ता/संचार का अधिकार **-धारा 26**
- विधिक सहायता का अधिकार **-धारा 27**
- अप्रचुर सेवाओं के बारे में शिकायत का अधिकार **-धारा 28**

मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- पुलिस के कर्तव्य

- मानसिक रोगी की मृत्यु या उसके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा, अथवा स्वयं या किसी अन्य को गंभीर क्षति पहुँचाने, अथवा अपनी या किसी अन्य व्यक्ति सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुँचाने से तत्काल रोकना, आवश्यक होने पर उसके मानसिक रोग के उपचार सहित किसी प्रकार का उपचार मानसिक स्वास्थ्य संस्था या सामुदायिक केन्द्र पर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उसके नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि की सहमति पर किया जाएगा **-धारा 94**

- थाने की सीमा के अंदर भ्रमण करते हुए पाए जाने वाले ऐसे मानसिक रोगी जो खुद की देखभाल करने में अक्षम हैं थाने के भारसाधक अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा मानसिक रोगी को अपने संरक्षण में लिया जाएगा **-धारा 100**

- ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारी के कारण स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, थाने के भारसाधक अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने संरक्षण में लिया जाएगा **-धारा 100**

मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- पुलिस के कर्तव्य

- ऐसे व्यक्ति को संरक्षण में लेने के 24 घण्टे के अंदर उसके स्वास्थ्य देखभाल व जरूरतों के आकलन हेतु नजदीकी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था ले जाया जायेगा **- धारा 100**
- संरक्षण में लिए गए ऐसे व्यक्ति को पुलिस लॉकअप अथवा कारागार में बंद नहीं किया जाएगा **-धारा 100**
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था के चिकित्साधिकारी द्वारा मानसिक रोग का आकलन तथा मानसिक रोगी की आवश्यकताओं का समाधान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा **-धारा 100**
- सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था के चिकित्साधिकारी द्वारा यदि आकलन से यह पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति में इस प्रकृति या स्तर की मानसिक बिमारी नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य संस्था में भर्ती भर्ती किया जाना आवश्यक हो, तो संरक्षण में लेने

मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- पुलिस के कर्तव्य

- मानसिक रोगी यदि बेघर है अथवा समुदाय में घूमता हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज की जायेगी और SHO द्वारा उसके परिवार का पता लगाकर उसके बारे में सूचित करेंगे **-धारा 101**
- थाने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे मानसिक रोगी जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या उपेक्षित है, थाने के भारसाधक अधिकारी/थाना प्रभारी इसकी तत्काल सूचना अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को देंगे **-धारा 101**
- ऐसा मानसिक रोगी जिसके साथ उसकी देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार हो रहा है या उपेक्षा हो रही है, के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थानीय थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दी जायेगी **-धारा 101**
- पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अथवा अन्यथा यदि मजिस्ट्रेट द्वारा पाया जाता है कि उनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी मानसिक रोगी के

मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- पुलिस के कर्तव्य

- किसी मानसिक रोगी के प्रस्तुत होने अथवा लाये जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था में आकलन एवं आवश्यकतानुसार उपचार हेतु ले जाए जाने का आदेश किया जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति के प्रति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाएगा अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य संस्था में चिकित्साधिकारी द्वारा आकलन एवं उपचार हेतु आवश्यक प्लानिंग करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था में 10 दिवस की अवधि तक प्रवेश प्राधिकृत किया जा सकता है और चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति पर अपने आकलन की एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा **-धारा 102**

अपराध एवं दण्ड

- भा०द०सं० की धारा 309 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का प्रयास जब तक इसके विपरीत साबित न हो, ऐसे व्यक्ति का

मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017- अपराध एवं दण्ड

- प्रावधानों के विपरीत अपंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्था चलाए जाने अथवा अनुरक्षित किए जाने के लिए दण्ड- 5000-50,000 रू० तक जुर्माना, पुनरावृत्ति पर 50,000-2,00,000 रू० या 2,00,000-5,00,000 रू० तक प्रत्येक पश्चावर्ती उल्लंघन के लिए जुर्माना, अपंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्था में कार्य करने वाले चिकित्सा व्यवसायी के लिए 25,000 रु तक का जुर्माना -धारा 107

- ऐसा व्यक्ति जो गंभीर तनाव में है और आत्महत्या का प्रयास किया है, की देखभाल उपचार और पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार की होती है जिससे आत्महत्या के पुनरावृत्ति का खतरा कम हो सके **-धारा 115**

- मेंटल हेल्थकेयर बिल के तहत किसी भी तरह के नियम तोड़ने पर छह महीने जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है अपराध दोहराने पर दो साल जेल और 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकता है **-धारा 108**

- मानसिक रोग को भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत

पी.आर.वी स्टाफ द्वारा मानसिक रोगी की समस्याओं को हल करने की कार्य कुशलता

जब पी.आर.वी स्टाफ मानसिक रोगी (महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों) से संबंधित घटनाओं पर जाते हैं, तब निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देने की जरूरत है -

- संवेदनशील होना
- सुनने की कला व धैर्य और भावनाओं का समावेश
- काउंसलिंग करने का तरीका
- लोकल संगठनों / संस्थानों का ज्ञान
- मानसिक मन्द व्यक्तियों के अनुसार कानूनी सावधानों की जानकारी

बौद्धिक मन्द / नशे से प्रभावित लोगों के साथ रखी जाने वाली सावधानियां

क्या करें ?

- सर्वप्रथम मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों से सम्बंधित घटना प्राप्त होने पर सूचनाकर्ता से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर घटनास्थल पर ससमय पहुंचकर उसकी मनोदशा को जानने का प्रयास करें
- घटनास्थल पर पहुंचकर यह सुनिश्चित करें कि उस व्यक्ति के पास कोई हथियार न हो, जिससे वह किसी भी व्यक्ति अथवा स्वयं को हानि पहुँचा सके
- मानसिक रूप से मन्द किसी महिला की सूचना से सम्बंधित इवेंट प्राप्त होने पर, महिलाओं सम्बन्धित सभी प्रावधानों का ध्यान रखते हुए त्वरित सुरक्षा एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सा मुहैया करना सुनिश्चित करें
- मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के प्रति ईमानदार और विश्वसनीय बनें तथा उनके परिजनों से सम्पर्क करने का यथासम्भव प्रयास करें
- अपना निर्णय लेते समय मंदबुद्धि व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान, साथ ही

बौद्धिक मन्द / नशे से प्रभावित लोगों के साथ रखी जाने वाली सावधानियां

क्या करें ?

- समाज के लोंगों को जागरूक करें कि एक मार्गदर्शक बनकर मानसिक दिव्यांगों को अधिकार दिलाकर उनकी मदद की जा सकती है
- गोपनीयता का सम्मान करें और यथासम्भव उसकी निजता की रक्षा करें
- मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति की संस्कृति, उम्र और लिंग पर विचार करके उनकी स्थिति तथा घटना के अनुसार उचित व्यवहार करें
- सम्बन्धित स्थानीय संगठनो / संस्थानों / गैर सरकारी संस्थानों की जानकारी रखें तथा उनके साथ प्रभावशाली समन्वय स्थापित करें
- मानसिक मन्द व्यक्तियों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें

बौद्धिक मन्द / नशे से प्रभावित लोगों के साथ रखी जाने वाली सावधानियां

क्या न करें ?

- एक सहायक के रूप में होने की अनुभूति कराएं तथा स्थिति का अनुचित लाभ लेने का प्रयास न करें
- किसी व्यक्ति का अनुचित लाभ न उठाएं
- झूठे वादे न करें
- गलत जानकारी साझा न करें
- मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के विरुद्ध बलप्रयोग न करें
- मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों पर व्यक्तिगत जीवन की कहानी बताने के लिए दबाव न डालें

बौद्धिक मन्द / नशे से प्रभावित लोगों के साथ रखी जाने वाली सावधानियां

क्या न करें ?

- अक्षम व्यक्तियों की व्यक्तिगत जीवनशैली दूसरों के साथ साझा न करें।
- अपने कार्यों या भावनाओं के लिए किसी भी मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति की मनोदशा का आकलन न करें
- किसी भी मानसिक रोगी को मानसिक रोगी/पागल आदि शब्दों से सम्बोधित न करें और ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें
- किसी भी दशा में मानसिक रोगी को लॉकअप या कारागार में बंद न करें

पी आर वी कर्मी की घटना के दौरान प्राथमिक भूमिका

- MDT पर सूचना को Acknowledge, en-route इंगित करना एवं सूचना कर्ता तथा उच्च अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए घटनास्थल पर पहुंचते ही Arrive इंगित करना
- सूचना देने वाले से सम्पर्क कर उससे विनम्रता पूर्ण व्यवहार करते हुए सुरक्षा का बोध कराना एवं घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करना
- PRV के MDT संचालक द्वारा घटनास्थल, पीड़िता, अभियुक्त एवं अन्य कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित करना
- घटना स्थल से बरामद शस्त्र ,शव, घायलों एवं साक्ष्यों को सुरक्षित करना एवं घायलों को एम्बुलेंस द्वारा प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल रवाना करना
- PRV के MDT संचालक द्वारा प्रभारी के निर्देशन में ATR प्रेषित की जायेगी एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने पर घटनास्थल से रवाना होंगे

बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्ति- (अवसाद ग्रस्त, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति, मिरगी से ग्रस्त, ड्रग एडिक्ट, शराबी) सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ

- मानसिक रूप से असामान्य व्यक्तियों से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में PRV कर्मियों को स्थानीय थाने व अन्य सम्बन्धित एजेंसियों का सहयोग नहीं मिलता, जिससे घटना का निस्तारण दुष्कर हो जाता है
- मानसिक रूप से असामान्य व्यक्तियों को स्थानीय थाना अपने संरक्षण में लेने से मना कर देता है
- NGO तथा अन्य संगठन के प्रतिनिधि घटनास्थल पर प्रायः विलम्ब से पहुँचते हैं
- चिकित्सा केन्द्र भी बिना सहायक के मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भर्ती नहीं करते हैं

केस स्टडी

- घटना की तिथि : 02.12.2017
- घटना का समय : 04:00:00 Hrs.
- घटना का प्रकार : गुमशुदगी (मानसिक रूप से विक्षिप्त)
- घटनास्थल : हनुमान मंदिर थाना मैंगलनगंज अन्तर्गत
- जनपद : खीरी
- सूचनाकर्ता का नाम : पुरसीन कौर
- इवेंट न० : P02121706215
- सूचनाकर्ता का मो० नं० : XXXXXXXXXX

केस स्टडी

<u>घटना भाग 'क'</u>

- एक महिला की कॉल आती है कि उसके घर के पास एक मंदिर है वहां एक लड़की बैठी है महिला कॉलर ने बताया कि वह बच्ची अपना पता सीतापुर बता रही है और अपनी उम्र 13 साल |
- बच्ची के बाल बिखरे हुए हैं व गंदे कपड़े पहने हुये हैं, अगर जवान लड़की के साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ?
- पीआरवी 2854 को थाना मैंगलनगंज अन्तर्गत दिनांक 02.12.2017 को समय 16:00 बजे इवेन्ट 6215 द्वारा हनुमान मन्दिर के पास गुमशुदा बच्ची के मिलने की सूचना मिली।

केस स्टडी

विचारणीय बिंदु

- सूचना प्राप्त होते ही आपका पहला कदम क्या होगा?
- सूचनाकर्ता से संपर्क करके आप क्या-क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? बिंदुवार सूची बनाएं
- सूचना प्राप्त होने के बाद तथा घटनास्थल पर पहुंचने से पहले आपके द्वारा पालन किए जाने समस्त बिंदुओं की क्रमानुसार सूची बनाएं
- सूचनाकर्ता से बात करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे तथा क्या ज़रूर बोलेंगे कि उसको सुरक्षा तथा सहयोग का आश्वासन प्राप्त हो?
- सूचना के आधार पर आप किन विभागों से संपर्क करेंगे? सूचना का प्रकार तथा सम्बंधित विभाग की सूची बनाएं
- उक्त में से जिन विभागों/ अधिकारियों/ कार्यालयों को सूचित करना अनिवार्य है उन्हें चिन्हित करें तथा कारण बताएं?
- घटनास्थल की ओर रवाना होने से पहले आप अपने वाहन में किन वस्तुओं की

केस स्टडी

घटना भाग 'ख'

घटनास्थल पहुँचने पर PRV कर्मियों को निम्न स्थिति मिली:

- सूचना सही थी तथा एक लड़की घटनास्थल पर मौजूद थी
- प्रथमदृष्टया लड़की मानसिक रूप से असामान्य प्रतीत हो रही थी
- गाँव के लोगों ने उसे घेर रखा था
- भीड़ शोर मचा रही थी तथा कुछ लोग उस लड़की पर पत्थर भी फेंक रहे थे

केस स्टडी

विचारणीय बिन्दु

- घटनास्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले आप क्या करेंगे?
- आप पीड़िता के साथ क्या सावधानियाँ बरतेंगे?
- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे?
- यदि भीड़ आक्रोशित है तो आप क्या कदम उठाएंगे?
- आप की टीम में कमाण्डर, सब-कमाण्डर तथा पायलट की क्या जिम्मेदारियां होंगी?
- आप पीड़िता की किस प्रकार सहायता करेंगे तथा सहायता के लिए किस आधार पर प्राथमिकता तय करेंगे?
- घटना स्थल पर पहुंचकर आप किन अधिकारियों, विभागों व अर्ध सरकारी संस्थानों को यथास्थिति से अवगत कराएंगे?
- घटनास्थल पर आप MDT पर क्या-क्या अपडेट करेंगे? क्रमबद्ध सूची बनाए

केस स्टडी

घटना निस्तारण भाग 'ग'

- घटना की सूचना प्राप्त होने पर PRV कर्मियों निम्न कदम उठाये तथा सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक ढंग से घटना का निस्तारण किया
- MDT पर इवेंट को acknowledge तथा ऑन रूट किया
- इसी दौरान सूचनाकर्ता से बात करके पीड़िता व घटनास्थल की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं पीड़िता को शीघ्र प्राथमिक सहायता मुहैया कराई
- पीड़िता बच्ची को सुरक्षित स्थान पर लाया गया तथा बच्ची से जानकारी करने का प्रयास किया गया
- स्थानीय थाना मैगलनगंज के प्रभारी महोदय को पीड़ित बच्ची के बारे में अवगत कराया गया
- पीड़िता बच्ची को सुरक्षित थाना मैगलनगंज पहुँचाया, जहाँ बच्ची के गुम होने की सूचना पहले से ही दर्ज थी
- उक्त समस्त कार्यवाही की MDT के माध्यम से अपडेट की गई

केस स्टडी

विचारणीय बिन्दु

- उक्त घटना में PRV कर्मियों द्वारा क्या असावधानियाँ बरती गई ?
- आपके द्वारा पिछले प्रश्न में वर्णित असावधानियाँ किस प्रकार से रोकी जा सकती हैं
- उक्त घटना में यू.पी 100 की छवि से सम्बन्धित सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं की सूची बनायें
- आपके द्वारा प्रदत्त नकारात्मक पहलुओं को किस प्रकार निष्प्रभावी बनाया जा सकता है

क्विज़

मानसिक मंदता क्या है?

- मानसिक दुर्बलता का गंभीर रूप है
- जिनका IQ 20-35 के बीच होता है
- अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाते
- उपरोक्त सभी

उत्तर: उपरोक्त सभी

क्विज़

PRV स्टाफ़ को एक औरत सड़क पर मिलती है, जो आने-जाने वाले लोगों को पत्थर मार रही है, PRV स्टाफ़ क्या कार्यवाही करेगा?

- अस्पताल ले जायेंगे
- थाना को सुपुर्द करेंगें
- DCR को अवगत कराकर NGO को सुपुर्द करेंगे
- या उसे यथास्थिती पर छोड़ देंगें

उत्तर: DCR को अवगत कराकर NGO को सुपुर्द करेंगे

क्विज़

मानसिक मंदता निम्न में से क्या नहीं है?

- संक्रामक
- बौद्धिक
- मानसिक
- व्यवहारिक

उत्तर: संक्रामक

क्विज़

व्यक्ति को न होने वाली स्थितियों का भी आभास होना किस प्रकार का डिसआर्डर है?

- तनाव
- बाईपोलर
- ईटिंग डिसआर्डर
- शिजोफ्रेनिया

उत्तर: शिजोफ्रेनिया

प्रश्नोत्तर

निष्कर्ष

स्त्रोत

क्र०सं०	विभाग/संस्था/मंत्रालय/प्रकाशक	यूआरएल/रिपोर्ट/प्रकाशन
1.	NIMHANS	www.nimhans.ac.in
2.	NIMHANS	National Mental Health survey 2015-16
3.	KGMU Lucknow	Psychiatry Department
4.	EMORY University, School of Medicine	https://www.med.emory.edu/
5.	Mental Health Care Act 2017	Ministry of law and Justice (Legislative Department)

112 आपात सेवा सोशल मीडिया

Twitter
@112UttarPradesh

SMS
7233000100

E-Mail
100@up100.uppolice.gov.in

Facebook
@Call112

Whatsapp
7570000100

Citizen Portal
Up100.uppolice.gov.in

Sources to Connect 112

धन्यवाद!